न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारीः श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्याः–88/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 06/08/2024
निर्णय दिनांकः– 19/01/2026

अनवान

1. गोपाललाल रावल पिता शम्भूलाल रावल जाति रावल निवासी गोरण्डिया तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा हाल निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हजारी जाति सालवी निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. जगदीश पुत्र दयाराम जाति सालवी निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नारायण पुत्र दयाराम जाति सालवी निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. प्रकाश पुत्र दयाराम जाति सालवी निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. बालु पुत्र हजारी जाति सालवी निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. भैरूलाल पुत्र रायमल जाति सालवी निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी खाता संख्या 141 खसरा संख्या 397/324 कुल किता 01 कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि एवं सहखातेदारी भूमि खाता संख्या 143 खसरा संख्या 316 रकबा 2.1500 हैक्टेयर भूमि ग्राम सूरतपुरा पटवार

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

हल्का काकरोद तहसील देवगढ़ में स्थित है। प्रार्थी की भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के आराजी संख्या 401 एवं अप्रार्थी संख्या 07 के खसरा संख्या 401 स्थित है जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि आराजीयात में प्रवेश कर सकते है व पगडण्डी रूपी रास्ते से अपनी कृषि भूमि में प्रार्थीगण आ जा रहे हैं तथा इसी आराजी से प्रार्थीगण कृषि उपकरण, हल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर कल्टी ईत्यादि का आवागमन अप्रार्थीगण की भूमि में होकर किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 401/399 व बिलानाम आराजी संख्या 400/399 में से आवागमन का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में दिया गया हैं उस 30 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावें एवं रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराये जाने व नक्शें में तरमीम कराये जाने का आदेश भी प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04, 05, 06, की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत पर आने–जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता नहीं प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये आराजी संख्या 316 एवं आराजी संख्या 401/399 क्रमशः खातेदारी में से प्रस्तावित किया गया है जो बिलानाम आराजी संख्या 400/399 से लगता हुआ है। जो प्रार्थी के खेत तक पहुंचता है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये प्रस्तावित रास्ते के किसी प्रकार के पेड़/फसल/निर्माण प्रभावित नहीं होते है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः ग्राम सुरतपुरा आराजी संख्या 316 में से 264x9.14 =2412.96 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 401/399 में से 10x9.14 =91.4 वर्गमीटर कुल 2504.36 वर्गमीटर रास्ता प्रभावित होगा जिसका नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है। राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि कि डी0एल0सी0 दर 527500/–रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसका 02 गुणा 264210/– रूपये बनता जो राशि राजकोष में जमा योग्य है। प्रस्तावित रास्ता के आराजी संख्या 400/399 रकबा 0.0520 हेतु किस्म चाही–3 दर्ज रिकॉर्ड है जिसे खातेदारों द्वारा पूर्व में रास्ते हेतु समर्पित किया गया है जो रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है कि:–
[251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के प्रावधानों को क्रियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोड़कर नियम 68–70 के प्रावधान उपबन्धित किये गये है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68में खातेदारी भूमि मे से होकर नवीन रास्ते विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने एवं सिचाई हेतु पाइप लाईन के लिए नियम 68 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है एवं नियम 68 के प्रावधान अन्तर्गत पस्तुत आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच कर उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिन में निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 251–ए के अन्तर्गत खातेदारो को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए उपबन्धित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आराजी संख्या 401/399 व 400/399 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा आराजी संख्या 316, 401/399 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो जमाबन्दी संवत् 2076 के अनुसार आराजी संख्या 316 स्वयं प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि तथा आराजी संख्या 401/399 अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की सहखातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ,देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त विवेचन से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहल खातेदारी भूमि में से रास्ता दिए जाने के प्रावधान है। अतः तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुये चूंकि आराजी नम्बर 316 स्वयं प्रार्थी की सहखातेदारी दर्ज है, उस अविभाजित भूमि का विधिवत विभाजन कराकर रास्ता प्राप्त कर सकता है एवं आराजी संख्या 401/399 में से 10X9.14 =91.4 वर्गमीटर रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 397/324 खातेदारी के रूप में दर्ज है जिसमें आने–जाने के लिए दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 397/324 रकबा 1.5100 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरतपुरा में पहुंच हेतु आराजी संख्या 401/399 में से कुल 91.4 वर्गमीटर भूमि रास्ता प्रार्थी की वाके ग्राम सुरतपुरा में आने–जाने के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1)के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है। यह रास्ता सार्वजनिक रहेगा। तहसीलदार देवगढ़ उपरोक्त आराजी में रास्ते की भूमि (क्षेत्रफल) की गणना कर उपरोक्तानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलवाई जाकर रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग (जुज) रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द